@shahjahanpurpol

प्रेस नोटः-सराहनीय कार्य 13.10.2020

थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर से चोरी किये गये ट्रैक्टर का खुलासा, ट्रैक्टर के गायब होने में वाहन स्वामी का ही निकला हाथ।

दिनाँक 21.09.2020 को श्री गुरुजीत सिंह पुत्र श्री लखविन्दर सिंह निवासी ग्राम बरी बरा थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर ने थाना बण्डा उपस्थित आकर सूचना अंकित करायी कि समय सुबह करीब 04.00 बजे जब वह अपना ट्रैक्टर लेकर भांभी पुल के कुछ आगे नहर पटरी पर पहुँचा और उतरकर पेशाब करने लगा कि अपाची मोटर साइकिल सवार 03 व्यक्तियों द्वारा उसका ट्रेक्टर स्वराज 855 रंग लाल RC N0- UP 27 AS 7220 जिसका इन्जन न0- 475010SAH15T92 चेसिस न0- MBNBFKCH80560 को चोरी कर ले गये। जिस पर थाना बण्डा पर मु0अ0सं0 534/2020 धारा 379 भादवि बनाम 03 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर के सुपुर्द की गयी।

सड़क पर सरे आम ट्रैक्टर चोरी की घटना को गम्भीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय श्री एस0 आनन्द के कुशल निर्देशन, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदया श्रीमती अपर्णा गौतम के निकट पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ महोदय जनपद शाहजहाँपुर श्री नवनीत कुमार नायक के कुशल नेतृत्व में उक्त घटना के अतिशीघ्र अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक बण्डा एवं विवेचक उ0नि0 प्रदीप कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिनके अनुपालन में उक्त ट्रैक्टर चोरी की घटना के अतिशीघ्र अनावरण हेतु गहन पूछताछ एवं पता रसी सुराग रसी की गयी। दौराने पूछताछ एवं पता रसी सुराग रसी यह तथ्य प्रकाश में आये कि स्वयं वादी मुकदमा/ट्रैक्टर स्वामी गुरुजीत सिंह पुत्र लखविन्दर सिंह नि0 बरी बरा थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर द्वारा ही उक्त ट्रैक्टर को दिनाँक 31.08.2020 को बीसलपुर कस्बा में बरेली मोड़ पर नगद 375000/- रूपये लेकर सुनील कुमार पुत्र रूप सिंह नि0 रजाकपुर थाना नौगवां सादात जनपद अमरोहा को गवाहान नदीम पुत्र रहीम अहमद नि0 अलीगंज थाना अलीगंज तहसील आंवला जिला बरेली के समक्ष बेचा था। उक्त ट्रैक्टर फाइनेन्स पर था और फाइनेन्स का ऋण सहित कुल 8,11,180 रुपये बकाया था। वादी मुकदमा गुरुजीत सिंह उपरोक्त द्वारा फाइनेन्स की बकाया धनराशि न देने के उद्देश्य से स्वयं ट्रैक्टर बिक्री कर चोरी की झूठी घटना दर्शाकर अभियोग लिखाया गया है।

अतः अभियोग में वर्णित घटना के झूठी पाये जाने के फलस्वरूप धारा 379 भादवि का लोप करते हुए वादी मुकदमा गुरुजीत सिंह उपरोक्त की दोषपूर्ण संलिप्तता पाये जाने पर अभियोग में धारा 420,406,182 भादवि की वृद्धि करते हुए वादी मुकदमा/अभियुक्त गुरुजीत सिंह उपरोक्त का नाम प्रकाश में लाया गया है। उक्त ट्रैक्टर कीमत करीब 05 लाख रुपये को बरामद किया गया है। अभियुक्त गुरजीत सिंह उपरोक्त के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

प्रकाश में आये अभियुक्त का नाम व पता –

1. गुरुजीत सिंह पुत्र श्री लखविन्दर सिंह निवासी ग्राम बरी बरा थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर (मुकदमा वादी)

बरामदगी-

(1) एक अदद ट्रेक्टर स्वराज 855 रंग लाल RC N0- UP 27 AS 7220 जिसका इन्जन न0- 475010SAH15T92 चेसिस न0- MBNBFKCH80560

घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रपाल सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
2- उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
3- का0 1125 अंकित कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
4- का0 1295 अंकित कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
5- का0 1866 मनवीर थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
6- का0 2200 अनुज कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
7- का0 2133 मोहित राठी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर